न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–28 / 2023 आरसीएमएस पॉर्टल नम्बरः– 2023 / 281

उनवानः–

परसादी उम्र करीब 56 वर्ष पुत्र श्री हरीसिंह जाति काछी (कुशवाह) निवासी ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर राज0 ....वादी

बनाम

1. रामश्री पत्नि करनसिंह
2. बीधा पुत्र करनसिंह
3. कमलेश पुत्री करनसिंह
4. दौजोदेवी पुत्री करनसिंह
5. मायादेवी पुत्री करनसिंह
6. मंगलसिंह पुत्र भूरी सिंह उर्फ घूरीसिंह
7. मोहनसिंह पुत्र भूरी सिंह उर्फ घूरीसिंह
8. रामसिंह पुत्र भूरी सिंह उर्फ घूरीसिंह
9. हरगोविन्द पुत्र भूरी सिंह उर्फ घूरीसिंह
10. विघाराम पुत्र बाबूलाल
11. सुखराम पुत्र श्यामा
12. दीनबन्धु पुत्र दाताराम
13. पूरनसिंह पुत्र दाताराम
14. श्रीराम पुत्र दाताराम
15. किरनदेई पुत्री दाताराम
16. संतो पत्नि शंकर
17. पवन पुत्र शंकर
18. राजू पुत्र शंकर ....दौराने दावा फौत

18 / 1 वीरमति पत्नि स्वर्गीय राजू जाति कुशवाह निवासी ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर

18 / 2 टिंकू पुत्र स्वर्गीय राजू

18 / 3 रेखा पुत्री स्व0 राजू

18 / 4 खूशबू पुत्री स्व0 राजू

18 / 5 कल्पना पुत्री स्व0 राजू

नाबालिगान सरपरस्ती मां वीरमती पत्नि राजू जातिगण कुशवाह निवासीगण सांडा तहसील व जिला धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

19. राजेन्द्र सिंह पुत्र शंकर

20. राजेश पुत्र शंकर

21. रनिया पुत्री शंकर

22. राजो पुत्री शंकर

समस्त जातिगण काछी (कुशवाह) निवासीगण ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर राज0

23. भूरीदेवी पुत्री धूरेलाल जाति त्यागी निवासी ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर राज0

24. सुनीता पुत्री स्व0 नारायनसिंह पत्नि रामभरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर

25. सुकलो देवी पुत्री स्व0 नारायन सिंह पत्नि हरीशंकर जाति कुशवाह निवासी ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर

26. सुखदेवी पुत्री स्व0 नारायन सिंह पत्नि छोटू जाति कुशवाह निवासी ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर

27. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाटौली जरिये शाखा प्रबंधक

28. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक

29. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर जरिये शाखा प्रबंधक

30. श्रीमान तहसीलदार साहब धौलपुर बहैसियत लैण्ड होल्डर ....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बँटवारा काश्त एंव स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति– 1. श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

2. श्री हरीसिंह बघेला , प्रतिवादी संख्या 18/1 से 18/5 की ओर से

दिनांक 24.06.2025

<u>निर्णय</u>

वादी की ओर से वाद वास्ते बटवांरा काश्त विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 844, 845 कुल किता 2 कुल रकवा 0.6576 है0, ख.नं. 851, 852 कुल किता 2 कुल रकवा 0.7587 है0 वांके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर कावादी अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा निरन्तर रूप से प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त होकर मौके पर फसल प्राप्त कर रहा है। अर्सा करीब 10 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानियां धमकी दी है कि वे वादी को विवादित आराजी से बेदखल करेंगे तथा सडक एंव आवादी से लगे कीमती भू–भाग पर अपना अवैध कब्जा कर पुख्ता मकान निर्माण करेगे तथा वादी को आईन्दा काश्त नही करने देगें। तथा हकूक वादी एंव बंटवारा काश्त से इंकारी हो गए है। अतः वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से को वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावें। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाकर वादी का खाता पृथक से कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 18/1 की ओर से श्री हरीसिंह बघेला एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 18/2 लगायत 18/5 की ओर से जरिए सरपरस्ती मां प्रतिवादी 18/1 के अभिभाषक उपस्थित रहे। शेष प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 276 पेश की।

दिनांक 05.05.2025 को वकील वादी एंव प्रतिवादी संख्या 18/1 लगायत 18/5 के अभिभाषक की सहमति से दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 844, 845 कुल किता 2 कुल रकवा 0.6576 है0, ख.नं. 851, 852 कुल किता 2 कुल रकवा 0.7587 है0 बांके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिये गए तथा तहसीलदार धौलपुर से आदेशानुसार राज0 काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु परवाना तहसीलदार धौलपुर का जारी किया गया।

तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव उनके पत्रांक 371 दिनांक 04.06.2025 से प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नही की तथा दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त हम दावा वादीया वकील उभयपक्ष की सहमति से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 844, 845 कुल किता 2 कुल रकवा 0.6576 है0 तथा ख.नं. 851, 852 कुल किता 2 कुल रकवा 0.7587 है0 बांके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाकर खाता पृथक – पृथक कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (है0)
1.	परसादी पुत्र हरीसिंह जाति काछी सा0 देह खातेदार	844/1 851/2 852/1	0.0822 0.1297 0.0125
2.	दौजी देवी, कमलेश, मायादेवी पुत्रियान करन सिंह, रामश्री पत्नि करन सिंह, बीधाराम पुत्र करनसिंह हि0ब0 जाति काछी सा0देह खातेदार	844/2	0.822
3.	विद्याराम पुत्र बाबूलाल हि0 पूर्ण जाति त्यागी सा0देह खातेदार	844/3	0.1644
4.	सुखराम पुत्र श्यामलाल हि0 1/2, मंगलसिंह मोहन सिंह रामसिंह हरगोविन्द पुत्रान भूरीसिंह हि.ब. 2/5 शकुंतला, सुखदेवी,सुनीता पुत्रियान नारायनसिंह हि0ब0 1/12 जाति काछी सा0 देह खातेदार मौहनसिंह ख.नं. 352/2 राहिन एसबीआई शाखा धौलपुर	845 852/2	0.3288 0.1897
5.	भूरीदेवी पत्नि घूरेलाल जाति त्यागी सा.देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर	851/1	0.2370
6.	दीनवन्धु, पूरनसिंह, पुत्रान दाताराम हि.ब. 12/25 राहिन पीएनबी शाखा जाटौली श्रीराम पुत्र दाताराम हि0 6/25 किरनदेई पुत्री दाताराम हि. 1/25 संतो पत्नि व पवन,राजू, राजेन्द्र, राजेश, पुत्रान व रनिया राजो पुत्रियान शंकरसिंह हि.ब. 6/25 जाति काछी सा.देह खातेदार	852/3	0.1898

आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)